

ऑन लाईन नं.GCMS2024/203

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 57/2024

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द
मैसर्स :- हनुमान किरयाना भण्डार, 1-ए-7 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।

-(विक्रेता एवं प्रोपराइटर)-



अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/54


:: निर्णय ::

दिनांक : 20.06.2025

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक:-आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंगन है।

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2024 को दोपहर बाद 3.00 पी.एम. को मैसर्स हनुमान किरयाना भण्डार, 1-ए-7 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) , को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान के रैक पर रखे 500-500 ग्राम के प्लेन पोली पैक के 20 पैकेड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का (विक्रेता) होना बताया तथा संस्थान के रैक पर रखे 500-500 ग्राम के प्लेन पोली पैक के 20 पैकेड खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। इसी धनिया पाउडर में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से धनिया पाउडर का नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा, विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर में से 500-500 ग्राम के चार पोली पैकेड को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्यशुदा धनिया पाउडर का नगद भुगतान 360/-रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।


अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर 500-500 ग्राम के चार पोली पैकेड को अलग-अलग गत्ता बॉक्स में पैक किया। चारों बॉक्सो पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के-2459 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-2459 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1123/एक्ट/2025/1123 दिनांक 24.09.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-2459 Food Containing extraneous matter under sec 3.1(i) of the FSSA 2006 due to presence of Turmeric starch होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) मैसर्स हनुमान किरयाना भण्डार, 1-ए-7 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर द्वारा Food Containing extraneous matter under sec 3.1(i) of the FSSA 2006 due to presence of Turmeric starch धनिया पाउडर का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 03.12.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर



परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 1 ए 7 जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स हनुमान किरयाना भण्डार दुकान नम्बर 1-ए-7 जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक -/- दिनांक - का दिया है कि आपकी दुकान में धनिया पाउडर की जांच की गई तो **Food Containing extraneous matter under sec 3.1(i) of the FSSA 2006 due to presence of Turmeric starch** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनिया पाउडर में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया धनिया पाउडर जांच रिपोर्ट क्रमांक:-एलएस/1123/एक्ट/2025/1123 दिनांक 24.09.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-2459 **Food Containing extraneous matter under sec 3.1(i) of the FSSA 2006 due to presence of Turmeric starch** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना जो धारा 54 में निर्धारित है लगाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की फर्म मैसर्स हनुमान किरयाना भण्डार दुकान नम्बर 1-ए-7 जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक -/- दिनांक - का दिया है कि आपकी दुकान में धनिया पाउडर की जांच की गई तो **Food Containing extraneous matter under sec 3.1(i) of the FSSA 2006 due to presence of Turmeric starch** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त धनिया पाउडर में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Dhania Powder" bearing Code No and Sr. No. K-2459, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Food Containing extraneous matter under sec 3.1(i) of the Food Safety and Act 2006 due to presence of Turmeric starch.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।



अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20000-00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ताराचन्द (विक्रेता एवं प्रोपराइटर) खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)
श्रीगंगानगर